OTT PLAYERS STOP STREAMING NEWS CHANNELS

OTT Players like Disney+ Hotstar, Zee5, Voot, Sony Liv and others have removed news channels from their platforms.

The OTT platforms say the new rules mandate that all content on their platform should be rated and it is impossible for them to rate news.

The IT rules, however, say that 'online curated content' does not include news and current affairs. But the latter part of the rules also states that 'all content' should be rated.

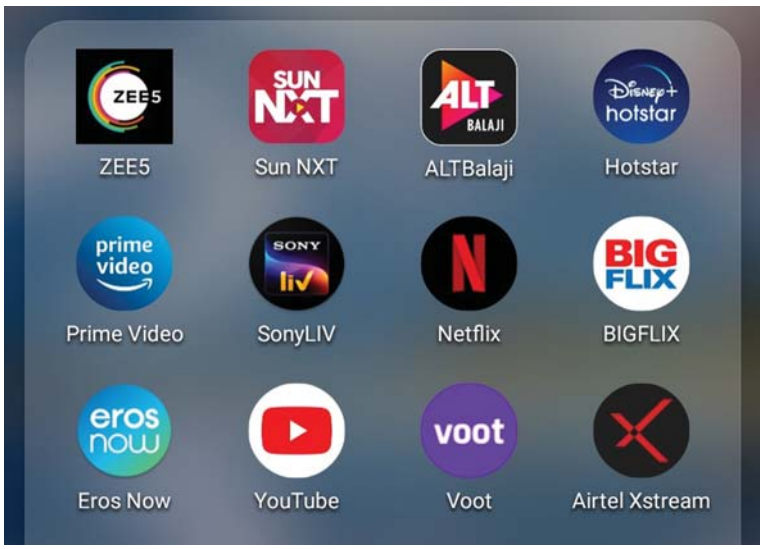

According to level 1 of the self-regulating mechanism prescribed in the new rules, "online curated content shall be classified by the publisher of such content into the categories referred to in the Schedule, having regard to the context, theme, tone, impact and target audience of such content, with the relevant rating for such categories based on an assessment of the relevant content descriptors in the manner specified in the said Schedule."

The guideline further says, "Every publisher of online curated content shall display the rating of any 'online curated content' and an explanation of the relevant content descriptors, prominently to its users at an appropriate place, as the case may be, in a manner that ensures that such users are aware of this information before accessing such content."

Now, in both the paras above, it is clear that the rules are talking about the 'online curated content', which does not include 'news and current affairs content'.

According to the definition given in part 1, 'Online

ओटीटी कंपनियों ने समाचार चैनलों का प्रसारण बंद किया

डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जी5, वूट, सोनी लिव और ओटीटी प्लेटफार्मों ने अपने नेटवर्क से समाचार चैनलों को हटा दिया है।

ओटीटी प्लेटफॉर्मों का कहना है कि नये नियमों में कहा गया है कि उनके प्लेटफार्म पर मौजूद सभी कंटेंट को रेटिंग दी जानी चाहिए और उनके लिए न्यूज को रेट करना असंभव है।

हालांकि आईटी नियम कहते हैं कि 'ऑनलाइन क्यूरेट की गयी सामग्री में समाचार व करेंट अफेयर्स शामिल नहीं हैं। लेकिन नियमों के बाद के हिस्से में यह भी कहा गया है कि 'सभी सामग्री को रेट किया जाना चाहिए।'

नये नियमों में निर्धारित स्व-विनियमन तंत्र के स्तर-1 के अनुसार 'ऑनलाइन क्यूरेट की गयी सामग्री को ऐसी सामग्री के प्रकाशक द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट श्रेणियों में संदर्भ, विषय, स्वर, प्रभाव के संबंध में वर्गीकृत किया जायेगा। उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से प्रासंगिक सामग्री विवरणकों के आकलन के आधार पर ऐसी श्रेणियों के लिए प्रासंगिक रेटिंग के साथ ऐसी सामग्री के लक्षित दर्शकों को।'

दिशानिर्देश आगे बताता है कि 'ऑनलाइन क्यूरेट की गयी सामग्री का प्रत्येक प्रकाशक किसी भी ऑनलाइन क्यूरेट की गयी सामग्री की रेटिंग और प्रासंगिक सामग्री वर्णनकर्ताओं के स्पष्टीकरण को प्रमुखता से अपने उपयोगकर्ताओं को एक उपयुक्त स्थान पर, जैसा भी मामला हो, एक तरीके से प्रदर्शित करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी सामग्री तक पहुंचने से पहले ऐसे उपयोगकर्ता इस जानकारी से अवगत हों।

अब उपरोक्त दोनों पैराओं में यह स्पष्ट है कि नियम 'ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के बारे में बात कर रहे हैं जिससे समाचार व समसामयिक मामलों की सामग्री शामिल नहीं है।

curated content' means any curated catalogue of audio-visual content, other than news and current affairs content, which is owned by, licensed to or contracted to be transmitted by a publisher of online curated content, and made available on demand, including but not limited through subscription, over the internet or computer networks, and includes films, audio visual programmes, documentaries, television programmes, serials, podcasts and other such content.

So which part is ambiguous according to the OTT players?

In fact, the 'content classification' descriptor under 'Code of ethics' says, "All content transmitted or published or exhibited by a publisher of online curated content shall be classified, based on the nature and type of content, into the following rating categories."

Even as this descriptor part of content classification is under the title 'online curated content' which does not include 'news and current affairs content', the usage of the term 'all content' is raising fear among OTT platforms. ■

भाग 1 में दी गयी परिभाषा के अनुसार 'ऑनलाइन क्यूरेट की गयी सामग्री का अर्थ समाचार व समसामयिक सामग्री के अलावा ऑडियो-विजुअल सामग्री का कोई भी क्यूरेटेड कैटलॉग है जिसका स्वामित्व, लाइसेंस या ऑनलाइन क्यूरेट के प्रकाशक द्वारा प्रसारित करने के लिए अनुबंधित है। सामग्री और मांग पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर सदस्यता के माध्यम से सीमित नहीं है, और इसमें फिल्में, ऑडियो विजुअल कार्यक्रम, वित्त चित्र, टेलीविजन कार्यक्रम, धारावाहिक पॉडकास्ट और ऐसी अन्य सामग्री शामिल है।

तो ओटीटी कंपनियों के हिसाब से कौन सा हिस्सा अस्पष्ट है?

वास्तव में आचार संहिता के तहत सामग्री वर्गीकरण विवरणक कहता है 'ऑनलाइन क्यूरेट की गयी सामग्री के प्रकाशक द्वारा प्रसारित या प्रकाशित या प्रदर्शित सभी सामग्री को सामग्री की प्रकृति और प्रकार के आधार पर निम्नलिखित रेटिंग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।

यहां तक कि सामग्री वर्गीकरण का यह विवरणक हिस्सा 'ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री शीर्षक के तहत है जिसमें समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री शामिल नहीं है, सभी सामग्री शब्द का उपयोग ओटीटी प्लेटफार्मों के बीच भय पैदा कर रहा है।' ■

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

SATELLITE & Cable TV
MAGAZINE

- In-depth & Unbiased Market Information
- Technology Breakthroughs
- Reaches More Than 40,000 Personnel Across The Satellite & Cable TV Industry every month

... You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

Contact: Mob.: +91-7021850198 Tel.: +91-22-6216 5313 Email: scat.sales@nm-india.com